न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 105/2019

1 लिछमण उर्फ लक्ष्मण (फौत)।
1/1 मन्जू देवी पुत्री लिछमण उर्फ लक्ष्मण।
1/2 बसन्ती देवी पुत्री लिछमण उर्फ लक्ष्मण।
1/3 सावित्री कुमावत पुत्री लिछमण उर्फ लक्ष्मण।
1/4 अनिता देवी पुत्री लिछमण उर्फ लक्ष्मण।
1/5 विकास कुमावत पुत्र लिछमण उर्फ लक्ष्मण।
1/6 बिमला पत्नी लिछमण उर्फ लक्ष्मण समस्त जाति कुम्हार निवासीगण परडोली बड़ी हाल निवासी परडोली छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हीरा पुत्र लाला जाति जाट निवासी ग्राम परडोली बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
2 हीरालाल पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल निवासी ढ़ाणी स्वंय कृषि भूमि खसरा नम्बर 14 ग्राम परडोली बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
3 भंवरी देवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट।
4 भंवरलाल पुत्र चिमना जाति कुम्हार।
5 देबूराम पुत्र चिमना जाति कुम्हार।
6 छोटी देवी बेवा चिमनाराम जाति कुम्हार निवासीगण परडोली बड़ी हाल निवासी परडोली छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
7 तहसीलदार धोद जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 मदनलाल पुत्र हरदेवाराम जाति कुम्हार निवासी परडोली छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व
निर्णय दिनांक 15.11.2019 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी धोद मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी
राजपाल यादव आर.ए.एस. प्रकरण संख्या 05/2016
251ए बउनवानी लिछमण बनाम हीरा आदि आवेदन
अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—18-1-20

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सेवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 24 रकबा 1.57 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 1.39 हैक्टर का सहखातेदार है तथा खसरा नम्बर 24 के अन्य सहखातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 एवं खसरा नम्बर 25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के अन्य सहखातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4,5,8 है जिनमें से रेस्पोडेन्ट संख्या 3द कृषि भूमि खसरा नम्बर 14 वाके ग्राम परडोली बडी के सहखातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुत्रवधु है जिसने खसरा नम्बर 25 उपरोक्त में से 1/4 हिस्सा की भूमि मूल खातेदार गीता बेवा दाना के पश्चातवर्ती खातेदार यशपाल पुत्र धनपतराम जाट से क्रय करके खातेदार दर्ज हुई है तथा अपीलांट की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 24, 25 में आवागमन का एकमात्र 20 फिट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 14 वाके ग्राम परडोली बडी में था जो कि आगे खसरा नम्बर 15 चारागाह में मिल जाता था, उक्त रास्ता को खसरा नम्बर 14 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने बन्द करके ट्रैक्टर से हल चला दिये थे, जिस कारण अपीलांट की कृषि भूमि में आवागमन का कोई रास्ता नहीं रहा व अपीलांट को रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता हो गयी, क्योंकि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 व 8 की कृषि भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 व 8 का हित भी अपीलांट के साथ ही निहित था परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 व 8 उपस्थित नहीं होने व उनका हित भी अपीलांट के साथ होने के कारण उन्हे परफोरमा अनावेदकगण बनाकर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध खसरा नम्बर 14 में से रास्ता प्राप्त करने के लिए धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण को जरिए नोटिस तलब किया तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने आपस में दुरभिसंधी करके एक साथ वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया एवं नियम 69 के तहत प्राप्त रिपोर्ट पर आपति प्रस्तुत की व एक अन्य विधिक आपत्ति कानूनी प्रावधानो से परे जाकर दिनांक 07.09.2016 को प्रस्तुत की। जिसका अपीलांट ने दिनांक 16.09.2016 को ही जबाब प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदन को निर्णित करने की समय सीमा 90 दिवस की बजाय 3 वर्ष से भी अधिक समय निकाल दिया व नियम 69 की रिपोर्ट पर प्रस्तुत आपत्ति आवेदन का दिनांक 18.09.2019 को आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित कर उक्त आपत्ति आवेदन को खारिज कर दिया व दिनांक 11.10.2019 को पत्रावली बहस हेतु नियत की, उसके पश्चात दिनांक 18.10.2019 तारीख पेशी बहस हेतु नियत की उसके पश्चात दिनांक 18.10.2019 को विधिक आपत्ति आवेदन दिनांकित 07.09.2019 पर बहस सुनी जाना आदेशिका में अंकित करके आदेश हेतु दिनांक 06.11.2019 पेशी अंकित की व उक्त दिनांक को अन्य कार्य में व्यस्त होने की सील लगाकर दिनांक 15.11.2019 तरीख पेशी नियत कर दिनांक 15.11.2019 को उक्त वेग आवेदन को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मनमोजीपन से स्वीकार कर आरबीट्रेरी निर्णय पारित कर धारा 251ए आरटीएक्ट के आवेदन को मैरिट पर निर्णित नही करके बिना किसी विधिक आधार के ही खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए अपीलांट के धारा 251 ए आरटीएक्ट के आवेदन को खारिज कर दिया कि– खसरा नम्बर 25 के 1/4 हिस्सा की सहखातेदारी भंवरी देवी पत्नि भगवानाराम ने उक्त रास्ते के मांगे जाने पर अपनी आपत्ति पेश की है जिसको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इससे उपर योग्य अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय ने कानूनी प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए यह अंकित किया कि– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत उक्त आवेदन के अनुसार आवेदनकर्ता ने अपनी सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर संख्या 25 तक खसरा नम्बर 14 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने की मांग की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत कोई सहखातेदार रास्ते की मांग कर सकता है लेकिन सहखातेदारो का उसके लिए सहमत होना या उनकी अनापत्ति होना जरूरी है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार की विधि विरूद्ध फाईडिंग देकर धारा 251ए आरटीएक्ट के आवेदन को खारिज किया जाना पिडित को न्याय से वंचित करने के बराबर है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिसकी कानून किसी भी पीठासीन अधिकारी महोदय को इजाजत नही होता हैं। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया गया है। विचारधीन निर्णय से धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की अवहेलना हुई है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 18.10.2019 को अंतिम बहस हेतु नियत थी। दिनांक 18.10.2019 की आदेशिका में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक आपत्ति आवेदन दिनांक 07.09.2016 पर बहस सुनी जाना अंकित कर पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई है। विचाराधीन निर्णय से विचारण न्यायालय ने विधिक आपत्ति आवेदन स्वीकार कर अपीलांट का आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया है। विचाराधीन निर्णय में विचारण न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण एवं धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों का एवं विधिक प्रक्रिया का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर धारा 251 ए की विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर अंतिम निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर